न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—नथमल डिडेल, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः—10/2021 (14 सिक्योरिटाइजेशन)

बैंक ऑफ इंडिया शाखा—हनुमानगढ़ जरिये प्राधिकृत अधिकारी

——प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स के. आर. ज्वैलर्स प्रो. श्री रमेश कुमार पुत्र श्री रामकुमार निवासी खर्लिया रोड़, पीलीबंगा, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

——(ऋणी)

2. श्री हिमांशु सोनी पुत्र श्री रमेश कुमार पता—वार्ड नं. 15 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा।

——(जमानतदार/बंधनकर्त्ता)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र।

आदेश **दिनांकः—08.07.2021**

प्रार्थी बैंक ऑफ इंडिया शाखा—हनुमानगढ की ओर से श्री रामकुमार बिश्नोई वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। बैंक के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक ने ऋणी को दिनांक 10.03.2016 व 17.03.2016 को 30,00,000.00/—(अखरे तीस लाख रूपये) की ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई थी। ऋणी/जमानतदारों द्वारा ऋण की ऐवज में बंधक चल व अचल सम्पत्ति—(1) दृष्टिबंधक स्टॉक चांदी एवं सोने के गहने और चांदी के बर्तन एवं आर्टिफिशल ज्वैलरी आइटम्स इत्यादि जो कि दुकान नं. 72 पुरानी मण्डी, पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ में रखे हैं। (2) रिहायशी प्लॉट नं. 02 सैक्टर नं. 03, मण्डी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 80' X 120' = 9600 वर्गफीट है जो कि श्री रमेश कुमार पुत्र श्री रामकुमार के नाम से है जिसको ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से प्रार्थी बैंक के हक में सम्यबंधक किया।

अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण की राशि प्राप्त करने के पश्चात अपने खाते को संतोषजनक तरीके से संचालित नहीं किया गया। अप्रार्थी ने माफिक इकरार किश्त एवं ब्याज की राशि समय पर जमा नहीं करवाने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी का खाता रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के दिशा—निर्देशानुसार गैर—निष्पादनीय आस्ति (NPA) के रूप में दिनांक 24.06.2019 व 31.01.2020 को वर्गीकृत कर दिया गया।

ऋणी का खाता एनपीए होने पर सरफेसी एक्ट—2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ऋणी/जमानतदार को दिनांक 21.09.2020 को मांग

नोटिस भेज कर 60 दिन में ऋण राशि 28,38,825.47/–(अखरे अठाईस लाख अड़तीस हजार आठ सौ पच्चीस रूपये एवं सेंतालिस पैसे मात्र) दिनांक 24.06.2020 व 31.01.2020 तक एवं इस दिनांक के बाद का ब्याज व अतिरिक्त खर्चे, लागत इत्यादि मांग की गई। वकील ने यह भी कथन किया कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नही करवाई गयी व न ही बंधक शुदा सम्पति का सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया।

ऋणी द्वारा ऋण की सम्पूर्ण राशि बैंक को जमा नहीं करवाई है। उक्त एक्ट के प्रावधानो के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा 14 के प्रावधानो के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को उक्त बंधक शुदा सम्पति का भौतिक कब्जा पुलिस सहायता से दिलाया जावे ताकि अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पति निलाम कर बकाया ऋण राशि वसूल की जा सकें।

बैंक ऑफ इंडिया के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। ऋणी/जमानतदार द्वारा बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत ऋणी/जमानतदार को नोटिस जारी किया जाना पाया गया। इसके पश्चात भी ऋणी/जमानतदार द्वारा ऋण राशि की शर्तो के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा बैंक ऑफ इंडिया के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक ऑफ इंडिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली पर हाईपोथिकेशन स्टॉक जो चांदी एवं सोने के गहने और चांदी के बर्तन एवं आर्टिफिशल ज्वैलरी आइटम्स इत्यादि जो कि दुकान नं. 72 पुरानी मण्डी, पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ में रखे हैं जिससे सम्बन्धित स्टॉक सूची की नवीनत्तम स्थिति उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रार्थी बैंक स्टॉक का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त ऋणी/जमानतदार द्वारा प्रार्थी बैंक ऑफ इंडिया के पास ऋण सुविधा की ऐवज में बंधक अचल सम्पत्ति रिहायशी प्लॉट नं. 02 सैक्टर नं. 03, मण्डी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 80' x 120' = 9600 वर्गफीट है जो कि रमेश कुमार पुत्र श्री रामकुमार के नाम से है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से बैंक ऑफ इंडिया को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु प्रार्थी बैंक द्वारा चाहे अनुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ व बैंक ऑफ इण्डिया शाखा–हनुमानगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 08.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़